

कार्यालय : नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, झांसी ।

सूचना / विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायिक अधिष्ठान, झांसी में निम्नानुसार टोनर कार्टेज की रिफिलिंग कराये जाने के सम्बन्ध में क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 02.02.2024 के अनुपालन में विभिन्न प्रतिष्ठानों से कोटेशन आमंत्रित किये जाने हैं।

अतः इच्छुक पंजीकृत प्रतिष्ठान टोनर कार्टेज की रिफिलिंग से सम्बन्धित वांछित कोटेशन नजारत अनुभाग में केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, झांसी को दिनांक 13.02.2024 तक जमा कराना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी(कम्प्यूटर) से अनुरोध है कि उक्त सूचना जनपद न्यायालय, झांसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने का कष्ट करें।

टोनर कार्टेज का विवरण –

1. एच0पी0 टोनर कार्टेज (88ए) रिफिलिंग – कुल 130 कार्टेज
2. एच0पी0 टोनर कार्टेज (12ए) रिफिलिंग – कुल 24 कार्टेज
3. एच0पी0 टोनर कार्टेज (78ए) रिफिलिंग – कुल 08 कार्टेज
4. एच0पी0 टोनर कार्टेज (137ए) रिफिलिंग – कुल 18 कार्टेज

(शक्ति पुत्र तोमर)
प्रभारी अधिकारी (नजारत)
जनपद न्यायालय, झांसी।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनापट पर चस्पा करने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर), जनपद न्यायालय, झांसी।
2. नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, झांसी।
3. कार्यालय जिलाधिकारी, झांसी।
4. कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी।
5. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, झांसी।
6. कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, झांसी।
7. कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी।
8. सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञप्ति चस्पा कराने हेतु।
9. जिला सूचना अधिकारी, झांसी को स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशन हेतु।

(शक्ति पुत्र तोमर)
प्रभारी अधिकारी (नजारत)
जनपद न्यायालय, झांसी।